(a) whether students from the state of Jammu and Kashmir are given reservations in the professional colleges outside Jammu and Kashmir in view of the disturbed conditions; and

(b) if not, whether Government will consider providing atleast a small percentage of seats in all professional colleges in the country for Jammu and Kashmir students?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) Jammu and Kashmir has a Regional Engineering College and a Government Degree Engineering College has started functioning at Jammu since last year. In view of the disturbed conditions in Jammu and Kashmir, the Jammu and Kashmir Government has been permitted since October, 1990 to run Camp Classes of Regional Engineering College, Srinagar at Jammu. Besides, from out of the seats available with the Central Government in institutions of various States, 4 seats at Degree Level and 6 seats at Diploma Level have been allocated to Jammu & Kashmir Government for making nominations. The Central Universities have been requested by Department of Education to extend the following concessions to Kashmiri Migrant Students:

i) Extension in date of admission;

ii) relaxation in out-off percentage;

iii) increase in intake capacity to accommodate Kashmiri Migrant students; and

iv) allowing migrations to 2nd and 3rd year of under-graduate course.

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए गए आवासों के संबंध में शिकायतें

2556. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किये गये मकान इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में सांसदों से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में इन शिकायतों के आधार पर राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) आवास राज्य विषय होने के नाते 20 सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 14 (घ) के तहत उब्ल्यू एस आवास मद सं. 14

(ङ) के तहत एल आई जी आवास की स्कीमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने योजना संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार इन स्कीमों के लिये केवल वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण तथा केवल राज्य स्तर पर निगरानी करती है।

(ख) हमारे रिकार्ड के अनुसार इस बाबत किसी माननीय संसद सदस्य से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जामा मस्जिद से बेदखल किए गए फेरी लगाने वालों को स्थानों का आवंटन

2557. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 27 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान जामा मस्जिद, दिल्ली के क्षेत्र से बेदखल किये गये फुटपाथ पर फेरी लगाने वाले 333 व्यक्तियों को कुछ स्थान उपलब्ध करा कर पुनर्वासित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन फेरी वालों को अपना कारोबार चलाने के लिये अब तक स्थान उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें उक्त स्थान कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जामा मस्जिद इलाके से वर्ष 1975-76 के दौरान बेदखल किए गए पटरी खोमचे वालों को अन्यत्र बनी हुई दुकानों के आवंटन देने की पात्रता बाबत निर्णय लेने के